


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-57/2025 80 /पटना, दिनांक- 30.07.26

श्री विनोद कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के द्वारा स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक 23.05.2025 से 26.06.2025 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के प्रावधानानुसार उपाजित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।


- उक्त अवधि में श्री विनोद कुमार सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


30/07/26
(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-57/2025 1278 /पटना, दिनांक- 30.07.26


प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/07/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-57/2025 1278 /पटना, दिनांक- 30.07.26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-1, पटना/मुख्य अभियंता-3, भागलपुर/अधीक्षण, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/लखीसराय/ श्री विनोद कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/07/26

सरकार के अपर सचिव

